प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 17.10.2022 की, जो कि सत्यभामा अजय दुबे,प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव व्दारा जमानत प्रकरण क्रमांक 823/2022 में अभिलिखित की गई है एवं जिसके कि पक्षकारगण निम्नानुसार हैं :–

दीपक कुमार साहू आत्मज एवन दास साहू आयु लगभग
27 वर्ष,निवासी ग्राम लाममेटा, तहसील व थाना छुरिया,
जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

.....आवेदक/अभियुक्त,

।। वि रू द्ध ।।

छ0ग0शासन
व्दारा आरक्षी केन्द्र छुरिया,
जिला –राजनांदगांव (छ0ग0)

.....अनावेदक/शासन,

17.10.2022 आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री महेन्द्र वर्मा, अधिवक्ता।
अनावेदक/शासन की ओर से श्री विपिन झा,अति0लोक अभियोजक।

पुलिस आरक्षी केन्द्र, छुरिया,जिला–राजनांदगांव के अपराध क्रमांक 360/2022 अंतर्गत धारा 307भारतीय दंड विधान की केसडायरी लिखित आपत्ति प्रतिवेदन के साथ प्राप्त।

आवेदक की ओर से श्रीमती दिव्या भारती पति दीपक कुमार साहू आयु लगभग 24 वर्ष निवासी ग्राम लाममेटा, तहसील व थाना छुरिया जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के शपथ पत्र के व्दारा समर्थित आवेदक का धारा 439 दं.प्र.सं. के अधीन यह प्रथम जमानत आवेदन होना बताया है तथा यह भी घोषित किया है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदन किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में

पेश नहीं किया गया है और न ही निराकृत हुआ है ।

जमानत आवेदन इस आशय का है कि पुलिस थाना छुरिया जिला–राजनांदगांव व्दारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 360/2022 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आवेदक/अभियुक्त को गिरफतार कर दिनांक 3.9.2022 को श्री भूपत साहू, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी राजनांदगांव के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। निम्न न्यायालय व्दारा आवेदक का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है तथा वर्तमान में उक्त आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल राजनांदगांव में निरूद्ध है। आवेदक व्दारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है, जो कि आरोपित अपराध की कोटि में आता है। मात्र शंका के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक/अभियुक्त आहत देवीराम साहू का भांजा है तथा आवेदक/अभियुक्त अपने ननिहाल ग्राम लाममेटा में ही निवास कर अपने नाना के कृषि कार्य में सहयोग करता है। आवेदक/अभियुक्त का आहत या उसके परिवार से जमीन संबंधी कोई वाद विवाद नहीं है और न ही किसी प्रकार से आपसी रंजिश है, बल्कि गॉव के कुछ विघ्नसंतोषी व्यक्तियों के व्दारा आवेदक/अभियुक्त को जान–बूझकर झूंठा फंसाया गया है। घटना दिनांक को आहत देवीराम साहू अपने खेत नाला की तरफ गया हुआ था तथा पैर फिसलने से पत्थर से आयी चोट के कारण छुरिया अस्पताल में भर्ती रहा, जहॉ तीन दिवस उपचार के पश्चात् उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसे आयी चोटें सामान्य प्रकृति की है। आवेदक/अभियुक्त सीधा सादा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है,वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। आवेदक/अभियुक्त कृषक है, जो वृद्ध माता पिता एवं पत्नी का भरण पोषण करने वाला एकमात्र सदस्य है तथा उसी के आय से अपना व

अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। आवेदक/अभियुक्त इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात् साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सके। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जमानत पश्चात् उसके अन्यत्र फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा न्यायालय व्दारा लगाये गये समस्त आदेशों व शर्तो का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

श्री विपिन झा, अति0लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर होना बताते हुए जमानत आवेदन का विरोध किया है ।

आवेदक की ओर से उसके अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया गया है। वह न्यायालय व्दारा आदेशित समस्त शर्तो का पालन करने को तैयार है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये तथा पुलिस आरक्षी केन्द्र, छुरिया, जिला—राजनांदगांव के अपराध क्रमांक 360/2022 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड विधान की केसडायरी का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी चंद्रकांत साहू ग्राम लाममेटा, थाना छुरिया में रहता है एवं छुरिया में ही जागृति फोटो कापी की दुकान चलाता है। दिनांक 3.9.2022 के सुबह वह अपने घर में था कि लगभग 6.45 बजे गॉव के देवव्रत साहू ने उसके घर में आकर बताया कि देवीराम साहू को गॉव के अभियुक्त दीपक साहू के व्दारा उसके खेत के मेढ़ में रखी पानी मशीन के पास

पुरानी रंजिश को लेकर लोहे की कुदाली से, जिसमें बेट लगी हुई है, से देवीराम साहू के सिर के पीछे जान से मारने की नियत से प्राणघ ाातक हमला कर दिया है, जिससे देवीराम लहुलूहान हालत में वहॉ पर पड़ा हुआ है, तब प्रार्थी तत्काल वहॉ गया, तो देखा कि उसके पिताजी देवीराम लहु लूहान हालत में खेत के मेढ़ के पास पड़े हुए थे, तब वह उन्हें अपनी कार में बैठाकर उपचार हेतु छुरिया अस्पताल ले जाकर भर्ती किया और घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र छुरिया, जिला राजनांदगांव में दर्ज कराया।

प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र छुरिया में अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्रमांक 360/2022 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले में विवेचना प्रारंभ की गई तथा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पाये जाने से उसे गिरफतार किया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल, राजनांदगांव भेजा गया है।

केसडायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त ने पुरानी रंजिश के आधार पर प्रार्थी के पिता देवीराम साहू के सिर के पीछे हिस्से में लोहे की कुदाली, जिसमें बेट लगी हुई है से, जान से मारने की नियत से देवीराम साहू पर प्राणघ ाातक हमला कर गंभीर चोट पहुॅचाया है। यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो यह संभव है कि उसका मनोबल बे़गा और वह पुनः अपराध की पुनरावृत्ति करे।

अतः केसडायरी में आये तथ्यों, प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से पेश जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति सूचनार्थ कु0रूचि मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी,राजनांदगांव (छ0ग0) को भेजी जाए।

आदेश की एक प्रति के साथ आरक्षी केन्द्र छुरिया,जिला—राजनांदगांव की केसडायरी वापस हो ।

यह जमानत प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख जमा अभिलेखागार हो ।

सही/'
(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव(छ.ग.)

प्रतिलिपि :—

1. कु0रूचि मिश्रा,न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी,राजनांदगांव (छ0ग0)को सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. थाना प्रभारी, पुलिस आरक्षी केन्द्र, छुरिया जिला—राजनांदगांव को सूचनार्थ अग्रेषित ।

सही/—
(सत्यभामा अजय दुबे)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
राजनांदगांव(छ.ग.)

SATYABHAMA AJAY DUBEY
Digitally signed by SATYABHAMA AJAY DUBEY
Date: 2022.10.17 17:20:48 +0530